



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 अग्रहायण 1940 (श10)
(सं0 पटना 1017) पटना, सोमवार, 3 दिसम्बर 2018

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

26 नवम्बर 2018

सं० सं०का०-1/वि०मं०(सदस्यों का वेतन एवं भत्ते)05-06/2017-793—बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) अधिनियम, 2006 (अधिनियम सं०-16, 2006) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) नियमावली, 2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं—

बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2018

- संक्षिप्त नाम और आरंभ।— (1) यह नियमावली बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2018 कही जा सकेगी।
(2) यह दिनांक 01 दिसम्बर, 2018 से प्रवृत्त होगी।
- उक्त नियमावली, 2006 के नियम 3(ख) में संशोधन।— उक्त नियमावली, 2006 के नियम 3(ख) की चौथी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "30,000/- (तीस हजार) रुपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक "40,000/- (चालीस हजार) रुपये" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।
- उक्त नियमावली, 2006 के नियम 4 में संशोधन।— उक्त नियमावली, 2006 के नियम 4 की दूसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "45,000/- (पैंतालीस हजार) रुपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक "50,000/- (पचास हजार) रुपये" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।
- उक्त नियमावली, 2006 के नियम 5 में संशोधन।— उक्त नियमावली, 2006 के नियम 5 की तीसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "10,00,000/- (दस लाख) रुपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक "15,00,000/- (पन्द्रह लाख) रुपये" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।
- उक्त नियमावली, 2006 के नियम 6 में संशोधन।— उक्त नियमावली, 2006 के नियम 6 की तीसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "6,000/- (छः हजार) रुपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक "10,000/- (दस हजार) रुपये" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।
- उक्त नियमावली, 2006 के नियम 7 में संशोधन।— उक्त नियमावली, 2006 के नियम 7 की चौथी, छठी एवं बारहवीं पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "20,000/- (बीस हजार) रुपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक "30,000/- (तीस हजार) रुपये" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

7. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 10 में संशोधन।— उक्त नियमावली, 2006 के नियम 10 की चौथी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "2,00,000/- (दो लाख) रुपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक "3,00,000/- (तीन लाख) रुपये" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

8. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 11(2) में संशोधन।— उक्त नियमावली, 2006 के नियम 11(2) की दूसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "22,250=00/- (बाईस हजार दो सौ पचास) रुपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक "28,000/- (अठाईस हजार) रुपये" तथा तीसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "6000=00/- (छः हजार) रुपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक "7,000/- (सात हजार) रुपये" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

9. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 17(1) में संशोधन।— उक्त नियमावली, 2006 के नियम 17(1) की तीसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "25,000/- (पच्चीस हजार) रुपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक "35,000/- (पैंतीस हजार) रुपये" तथा पाँचवीं पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "2,000/- (दो हजार) रुपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक "3,000/- (तीन हजार) रुपये" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

10. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 17(4) में संशोधन।— उक्त नियमावली, 2006 के नियम 17(4) की चौथी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "1,00,000/- (एक लाख) रुपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक "1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) रुपये" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राजेश कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1017-571+1000-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>